भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1562
28.07.2026 को उत्तर के लिए नियत

ईवी नीति

1562 **श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या ईवी नीति में खरीद प्रोत्साहन के अतिरिक्त परिवहन क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों और संस्थागत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप और स्वच्छ गतिशीलता के लिए संरचनात्मक रोडमैप निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) इसके कार्यान्वयन के लिए बजटीय आवंटन और प्रोत्साहनों तथा अवसंरचना विस्तार के मिश्रण के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन-प्रणाली का कार्यान्वयन तेज करने के उद्देश्य में कुल निवेश परिव्यय का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नई नीति अधिक व्यापक है और धीरे-धीरे पूरे परिवहन तंत्र को इलेक्ट्रिक वाहन-प्रणाली की ओर परिवर्तित कर देगी; और
(घ) यदि हां, तो इस हेतु विशेषकर तेलंगाना द्वारा स्वीकृत/खर्च की गई निधि और लिए गए नीतिगत निर्णयों के साथ-साथ वर्ष 2047 के लिए निर्धारित/प्राप्त वर्तमान लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): जी हाँ। जहाँ एक ओर फेम-II तथा पीएम ई-ड्राइव जैसी मांग-पक्षीय स्कीमें इलेक्ट्रिक वाहनों की प्रारम्भिक लागत को कम करने पर केन्द्रित हैं, वहीं दूसरी ओर ऑटोमोबाइल तथा उन्नत रसायन सेल क्षेत्रों के लिए आपूर्ति-पक्षीय उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीमों के माध्यम से संस्थागत ढाँचे को सुदृढ़ किया गया है। इन स्कीमों के अंतर्गत उच्च प्रौद्योगिकी के अंगीकरण तथा घरेलू मूल्य संवर्धन को अनिवार्य किया गया है। इसके अतिरिक्त, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम विद्युत वाहनों के महत्त्वपूर्ण अवयवों के क्रमिक स्वदेशीकरण हेतु समयबद्ध रूपरेखा निर्धारित करता है, जिसके अंतर्गत समय के साथ इन अवयवों का घरेलू विनिर्माण सुनिश्चित किया जाता है।

(ख): इस बदलाव को बड़े बजट आवंटन का समर्थन प्राप्त है, जिसका उद्देश्य एक ही समय में बाज़ार का निर्माण और बुनियादी ढांचे का विस्तार करना है। फेम-II स्कीम कुल ₹11,500 करोड़ के खर्च के साथ पूरी हुई, जबकि इसकी जगह पीएम ई-ड्राइव स्कीम को

₹10,900 करोड़ के आवंटन के साथ शुरू किया गया है। विनिर्माण पारितंत्र को मज़बूत करने के लिए, पीएलआई-ऑटो स्कीम के तहत ₹25,938 करोड़ का बजट रखा गया है और पीएलआई -एसीसी स्कीम के तहत ₹18,100 करोड़ दिए जा रहे हैं।

(ग): जी हाँ, नई नीतियां व्यापक हैं। वे इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण में मांग और आपूर्ति, दोनों पक्षों पर ध्यान देते हैं।

(घ): केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2047 तक सड़कों पर संचालित किए जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के संबंध में कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, इलेक्ट्रिक वाहनों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा स्कीमें क्रियान्वित की जा रही हैं, जिनमें फेम इंडिया स्कीम फेज-2 (₹11,500 करोड़), ऑटोमोबाइल तथा ऑटो अवयवों के लिए उत्पादन- सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम (₹25,938 करोड़), उन्नत रसायन सेल बैटरी भंडारण हेतु उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन स्कीम (₹18,100 करोड़), पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवलूशन इन इनोवेटिव वाहन संवर्धन स्कीम (₹10,900 करोड़), प्रधानमंत्री ई-बस सेवा-भुगतान सुरक्षा तंत्र स्कीम (₹3,435.33 करोड़) तथा भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने संबंधी स्कीम सम्मिलित हैं। तेलंगाना सहित अनेक राज्यों ने भी इन पहलों के पूरक के रूप में समर्पित इलेक्ट्रिक वाहन नीतियाँ अधिसूचित की हैं। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित स्कीमें मांग-आधारित हैं; अतः इनके अंतर्गत राज्यों के लिए पृथक रूप से निधियों का आवंटन नहीं किया जाता है।

****